

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 253 वीं बैठक दिनांक 07.02.2018 को मध्याह्न 12:00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री एच.गुईटे, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पीआरएन/पूर्व-पश्चिम) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री उज्ज्वल राठौड, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री ओमप्रकाश शर्मा, सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान), जविप्रा, जयपुर।

विशेष आमंत्रित सदस्य।

1. श्रीमति लवंग शर्मा, परामर्शी, (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री अनंत कुमार, उप निदेशक (विधि), जविप्रा जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी | वरिष्ठ नगर नियोजक, जविप्रा, जयपुर। |
| 2. श्री गोपाल लाल सैनी | उप नगर नियोजक, बीपीसी(एलपी), जविप्रा जयपुर। |
| 3. श्री नवल किशोर बैरवा | उपायुक्त जोन-2, जविप्रा, जयपुर। |
| 4. श्री मनोज कुमार | उपायुक्त, जोन-4, जविप्रा, जयपुर। |
| 5. श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल | उपायुक्त, जोन-8, जविप्रा, जयपुर। |
| 6. श्री रामनारायण बडगूजर | उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर। |
| 7. श्री बिरधीचन्द गंगवाल | उपायुक्त, जोन-13, जविप्रा, जयपुर। |
| 8. श्री एम.एल. गुर्जर | संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारिता, जविप्रा, जयपुर। |
| 9. सोनोनि0/अरबन प्लान/वारतुविद् | जोन-4,9,13, जविप्रा, जयपुर। |
| 10. श्रीमती उषा जैन | सलाहकार, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर। |

एजेण्डा संख्या:-1 (253/07.02.2018)

विषय:-बी.पी.सी (एलपी) की 252 वी बैठक दिनांक 10.01.2018 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि बाबत।

बीपीसी एलपी की 252वीं बैठक दिनांक 10.01.2018 बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या:-2-(मास्टर प्लान)- (253/07.02.2018)

विषय:- जोनल विकास योजना संख्या-2 के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोनल विकास योजना-2 की रिपोर्ट तथा योजना मानचित्र बाबत निम्नवत निर्णय लिये गये :-

1. योजना की सड़कों व सड़कों के जंक्शनों को मास्टर विकास योजना-2025 में दर्शाई गई चौड़ाई के अनुरूप मौका स्थिति अनुसार दर्शाये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।
2. प्रारूप जोनल प्लान में सड़को भू-उपयोग व कमिटमेंट की जोन स्तर से पुष्टि करवाई जाने तथा जो कमिटमेंट शेष रह गये हैं उनको अंकित करवाये जाने का निर्णय लिया गया।
3. हाईटेंशन लाईन के नीचे अवस्थित सेफ्टी कॉरिडोर को हरित क्षेत्र में समावेश किये जाने का अनुमोदन किया गया।
4. सैक्टर 28 व 38-42 में 48 मीटर की सड़क ओवरलेपिंग है, जिसे सैक्टर 38-42 के अनुसार रखने का निर्णय लिया गया।

5. सैक्टर 29 की एयरपोर्ट के दक्षिण से प्रताप नगर को जाने वाली सड़क सैक्टर प्लान व राजस्थान आवासन मण्डल के कमिटमेंट के अनुरूप 100फीट दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया।
6. सैक्टर 29 में जविप्रा योजना टीलावाला व राजस्थान आवासन मण्डल की निर्मित प्रताप नगर योजना के कमिटमेंट के मद्देनजर 18मीटर की दो सड़को को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।
7. एयरपोर्ट के साथ-साथ दक्षिण की ओर 200फीट सड़क को मौके पर अवस्थितता के अनुसार एयरपोर्ट बाउण्ड्रीवाल से 200फीट किये जाने का अनुमोदन किया गया।
8. जविप्रा द्वारा आवंटित Indian Institute of Health Management Research व सुबोध शिक्षण संस्था के बीच से गुजर रही 12मीटर सड़क को जविप्रा के कमिटमेंट के मद्देनजर विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।
9. पुराने सांगानेर कस्बे को मास्टर विकास योजना-2025 के अनुरूप विशेष क्षेत्र दर्शाये जाने का अनुमोदन किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार प्रारूप जोनल विकास योजना को संशोधन सहित अनुमोदन बाबत प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

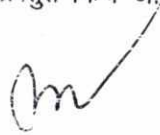
एजेण्डा संख्या:-3-(मास्टर प्लान)- (253/07.02.2018)

विषय:- जोनल विकास योजना संख्या-7 के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोनल विकास योजना-7 की रिपोर्ट तथा योजना मानचित्र बाबत निम्नवत निर्णय लिये गये :-

1. योजना की सड़कों व सड़को के जंक्शनों को मास्टर विकास योजना-2025 में दर्शाई गई चौड़ाई के अनुरूप मौका स्थिति अनुसार दर्शाये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।
2. प्रारूप जोनल प्लान में सड़को भू-उपयोग व कमिटमेंट की जोन स्तर से पुष्टि करवाई जाने तथा जो कमिटमेंट शेष रह गये हैं उनको अंकित करवाये जाने का निर्णय लिया गया।
3. हाईटेशन लाईन के नीचे अवस्थित सेप्टी कॉरिडोर को हरित क्षेत्र में समावेश किये जाने का अनुमोदन किया गया।
4. राजस्थान आवासन मण्डल की योजना इंदिरा गाँधी नगर के सैक्टर 8 व 9 में जविप्रा सैक्टर प्लान की सड़के नहीं हैं। अतः इन्हें राजस्थान आवासन मण्डल के कमिटमेंट के मद्देनजर विलोपित किया जाने का निर्णय लिया गया।
5. सैक्टर 34-35 एवं इकोलोजिकल क्षेत्र के संदर्भ में कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन किये जाने का निर्णय लिया गया।
6. जविप्रा द्वारा सैक्टर प्लान बनने से पहले अनुमोदित निजी खातेदारी योजना शिवालिक एन्क्लेव के पूर्व की ओर राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित तथा पश्चिम-उत्तर की ओर जविप्रा द्वारा प्रस्तावित 160फीट सड़क को शिवालिक एन्क्लेव के उत्तर की ओर से अलाइनमेंट संशोधन कर कनेक्ट करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार प्रारूप जोनल विकास योजना को संशोधन सहित अनुमोदन बाबत प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।



एजेण्डा संख्या:-4-(मास्टर प्लान)- (253/07.02.2018)

विषय:- जोनल विकास योजना संख्या-13 के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोनल विकास योजना-13 की रिपोर्ट तथा योजना मानचित्र बाबत निम्नवत निर्णय लिये गये :-

1. योजना की सड़कों व सड़को के जंक्शनों को मास्टर विकास योजना-2025 में दर्शाई गई चौड़ाई के अनुरूप मौका स्थिति अनुसार दर्शाये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।
2. प्रारूप जोनल प्लान में सड़को भू-उपयोग व कमिटमेंट की जोन स्तर से पुष्टि करवाई जाने तथा जो कमिटमेंट शेष रह गये हैं उनको अंकित करवाये जाने का निर्णय लिया गया।
3. हाईटेंशन लाईन के नीचे अवस्थित सेपटी कॉरिडोर को हरित क्षेत्र में समावेश किये जाने का अनुमोदन किया गया।
4. इस योजना में सेटेलाईट टाउन अचरोल, भागपुरकलां, कूकस, बगवाड़ा व चौप (आंशिक) आ रहे हैं, जिन्हें मास्टर विकास योजना-2025 के अनुरूप दर्शाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
5. कूकस सेटेलाईट टाउन के मानचित्र में दर्शित फोरेस्ट/जी-1/हिल्स को इस योजना में यथावत दर्शाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार प्रारूप जोनल विकास योजना को संशोधन सहित अनुमोदन बाबत प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-5-(मास्टर प्लान)- (253/07.02.2018)

विषय:- जोनल विकास योजना संख्या-14 के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोनल विकास योजना-14 की रिपोर्ट तथा योजना मानचित्र बाबत निम्नवत निर्णय लिये गये :-

1. योजना की सड़कों व सड़को के जंक्शनों को मास्टर विकास योजना-2025 में दर्शाई गई चौड़ाई के अनुरूप मौका स्थिति अनुसार दर्शाये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।
2. प्रारूप जोनल प्लान में सड़को भू-उपयोग व कमिटमेंट की जोन स्तर से पुष्टि करवाई जाने तथा जो कमिटमेंट शेष रह गये हैं उनको अंकित करवाये जाने का निर्णय लिया गया।
3. हाईटेंशन लाईन के नीचे अवस्थित सेपटी कॉरिडोर को हरित क्षेत्र में समावेश किये जाने का अनुमोदन किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार प्रारूप जोनल विकास योजना को संशोधन सहित अनुमोदन बाबत प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-1-(मास्टर प्लान)- (253/07.02.2018)

विषय:- जोनल विकास योजना संख्या-4 के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोनल विकास योजना-4 की रिपोर्ट तथा योजना मानचित्र बाबत निम्नवत निर्णय लिये गये :-



1. योजना की सड़कों व सड़को के जंक्शनों को मास्टर विकास योजना-2025 में दर्शाई गई चौड़ाई के अनुरूप मौका स्थिति अनुसार दर्शाये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।
2. प्रारूप जोनल प्लान में सड़को भू-उपयोग व कमिटमेंट की जोन स्तर से पुष्टि करवाई जाने तथा जो कमिटमेंट शेष रह गये है उनको अंकित करवाये जाने का निर्णय लिया गया।
3. हाईटेशन लाईन के नीचे अवस्थित सेपटी कॉरिडोर को हरित क्षेत्र में समावेश किये जाने का अनुमोदन किया गया।
4. चित्रकुट योजना में स्टेडियम के पास सेक्टर प्लान में प्रस्तावित 12 मीटर की 3 सड़कों को चित्रकुट योजना के अनुसार किये जाने हेतु विलोपित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
5. पृथ्वीराज नगर उत्तर का आंशिक भाग जो एक्सप्रेस हाईवे से पूर्व की ओर के क्षेत्र का भू-उपयोग जोनल विकास योजना-11बी के अनुरूप आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया।
6. वैशाली व चित्रकुट योजना की सड़कों पर दिये गये मिश्रित भू-उपयोग के अनुरूप समान रूप से पृथ्वीराज नगर उत्तर की सड़कों पर मिश्रित भू-उपयोग दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार प्रारूप जोनल विकास योजना को संशोधन सहित अनुमोदन बाबत प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-2-(मास्टर प्लान)-(253/07.02.2018)

विषय :- जोनल विकास योजना-5 के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोनल विकास योजना-5 की रिपोर्ट तथा योजना मानचित्र बाबत निम्नवत निर्णय लिये गये :-

1. योजना की सड़कों व सड़को के जंक्शनों को मास्टर विकास योजना-2025 में दर्शाई गई चौड़ाई के अनुरूप मौका स्थिति अनुसार दर्शाये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।
2. प्रारूप जोनल प्लान में सड़को भू-उपयोग व कमिटमेंट की जोन स्तर से पुष्टि करवाई जाने तथा जो कमिटमेंट शेष रह गये है उनको अंकित करवाये जाने का निर्णय लिया गया।
3. हाईटेशन लाईन के नीचे अवस्थित सेपटी कॉरिडोर को हरित क्षेत्र में समावेश किये जाने का अनुमोदन किया गया।
4. कूकरखेड़ा अनाज मंडी में दर्शित 30 मीटर सड़क को मौका स्थिति व मास्टर विकास योजना-2025 के अनुरूप दर्शाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
5. सेक्टर 20 की 100फीट सड़क, जो कि विद्याधर नगर योजना के सेन्ट्रल स्पाईन में नहीं है, उसे विद्याधर नगर के प्लान के अनुरूप किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार प्रारूप जोनल विकास योजना को संशोधन सहित अनुमोदन बाबत प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।



सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी (एल.पी.)/2018/डी-11 दिनांक:- 08/02/18

प्रतिलिपी सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक विधि, जविप्रा, जयपुर।
5. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/पीआरएन/एल.पी.सी-भूमि) जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)/बीपी जविप्रा, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक (एमपी), जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन 1 से 14 एवं पृथ्वीराज नगर उत्तर/दक्षिण जविप्रा, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी जंगसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।


सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)